



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 16.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना चरखारी पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त-

शिवकुमार पुत्र सुक्का लोधी उम्र 57 वर्ष निवासी ग्राम गुढ़ा थाना चरखारी जनपद महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे वांछित / वारण्टी गिरफ्तार अभियान के अनुपालन के क्रम में दिनांक 16.06.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर० के० गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री तेजबहादुर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना चरखारी प्रभारी निरीक्षक उमापति मिश्रा द्वारा गठित उ.नि. सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त शिवकुमार पुत्र सुक्का लोधी उम्र 57 वर्ष निवासी ग्राम गुढ़ा थाना चरखारी जनपद महोबा सम्बन्धित केस न. 33/10 धारा 25 A ACT न्यायालय जेएम चरखारी चालानी थाना चरखारी को गिरफ्तार किया गया। वारंटी/साक्षी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया थाना चरखारी जनपद महोबा
2. का० अनूप रत्ना थाना चरखारी जनपद महोबा
3. का० धर्मेन्द्र थाना चरखारी जनपद महोबा
4. का० कुलदीप थाना चरखारी जनपद महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 16.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना अजनर पुलिस टीम ने अवैध गुटखा सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में अवैध गुटखा किया बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग व उनकी गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 15.06.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर के गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री लाखन सिंह, उपनिरीक्षक श्री उमेश कुमार, व सहायक खाद्य आयुक्त ग्रेड II डा. जतिन कुमार व मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव की संयुक्त टीम द्वारा मुखबर की सूचना पर ग्राम खमा में बजरंग फिलिंग स्टेशन के पास से अभियुक्त मुकेश साहू पुत्र मानिकलाल साहू उम्र करीब 28 वर्ष निवासी गरौली थाना नौगांव जनपद छतरपुर म0प्र0 के कब्जे से पिकअप नं0 UP 95 T 2973 में लदे हुए 08 झालों से 39 पालीथीन बैग में 2278 पैकेट के अन्दर कुल 132124 पाउच / पुडिया तम्बाकू मिश्रित पुजारी व पुकार ब्राण्ड के बरामद कर गिरफ्तार किया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 116/2022 धारा 420 भा0द0वि0 व 59 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पंजीकृत कर, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पकड़े गये वाहन पिकअप उपरोक्त की धारा 207 MV ACT के तहत सीज की कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मुकेश साहू पुत्र मानिकलाल साहू उम्र करीब 28 वर्ष निवासी गरौली थाना नौगांव जनपद छतरपुर म0प्र0

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.थानाध्यक्ष श्री लाखन सिंह थाना अजनर जिला महोबा।
 - 2.उपनिरीक्षक श्री उमेश कुमार
 - 3.डा. जतिन कुमार सहायक खाद्य आयुक्त ग्रेड II, महोबा
 - 4.श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी महोबा
 - 5.का. आसवेन्द्र सिंह थाना अजनर जिला महोबा
 - 6.का. अरविन्द पाल थाना अजनर जिला महोबा
 - 7.का. धर्मेन्द्र कुमार थाना अजनर जिला महोबा
- बरामदगी-** 08 झालों में 39 पालीथीन बैग में 2278 पैकेट के अन्दर कुल 132124 पाउच / पुडिया तम्बाकू मिश्रित पुजारी व पुकार ब्राण्ड के।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 16.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कबरई पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 16.06.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री विनोद कुमार द्वारा गठित टीम उ0नि0 श्री विनोद कुमार शुक्ला मय हमराही पीआरडी गुलाब सिंह द्वारा मु0अ0सं0 158/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कबरई मे वांछित चल रहे अभियुक्त नरेन्द्र पाल पुत्र रामचरन पाल निवासी ग्राम मकरबई थाना कबरई को मुखबिर की सूचना पर छंगा तिराहा कस्बा व थाना कबरई से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विनोद कुमार शुक्ला थाना कबरई जनपद महोबा
2. पीआरडी गुलाब सिंह थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

नरेन्द्र पाल पुत्र रामचरन पाल निवासी ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 16.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 16.06.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेशचन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में अवैध शस्त्र धारकों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना महोबकंठ प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम उ.नि.दशमतलाल द्वारा ग्राम टोलापातर गौशाला के पास थाना महोबकंठ जनपद महोबा से अभियुक्त जीतेन्द्र कुमार पुत्र तुलाराम अहिरवार निवासी ग्राम दुलारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 89/22 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० दशमतलाल थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2. का० प्रवीन कुमार थाना महोबकंठ जनपद महोबा
3. का० हरिप्रताप सिंह थाना महोबकंठ जनपद महोबा

बरामदगी- अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना

गिरफ्तार अभियुक्त-

जीतेन्द्र कुमार पुत्र तुलाराम अहिरवार निवासी ग्राम दुलारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 16.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 06 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 16.06.2022 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में अवैध जुआ में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ श्री उमेश कुमार द्वारा गठित की गयी टीम उ०नि० चन्द्रशेखर सिंह ने मय हमराही गणों की मदद से ताश के पत्तो से रुपयो पैसो की हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए 06 नफर अभियुक्त गणों को ग्राम सुगिरा के पास से मय मालफड 1000/- रुपये व 52 अदद ताश पत्ता व जामा तालाशी 115/- रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना हाजा पर मु०अ०सं० 150/2022 धारा 13 जुंआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० चन्द्रशेखर सिंह
2. कां० रन्धीर सिंह
3. कां० विवेक
4. कां० प्रताप विक्रम सिंह
5. कां० मनोज कुमार थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

बरामदगी-

मालफड 1000/- रुपये, जामा तालाशी 115/- रुपये व 52 अदद ताश पत्ता

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- (1) रामकिशुन पुत्र हीरा श्रीवास उम्र करीब 40 वर्ष
- (2) इन्द्रकुमार पुत्र अमर सिंह उम्र करीब 30 वर्ष
- (3) चरन सिंह पुत्र परमेश्वरी दयाल उम्र करीब 36 वर्ष
- (4) प्रमोद कुमार पुत्र रामदयाल उम्र करीब 37 वर्ष
- (5) मुन्नालाल पुत्र कालीचरन उम्र करीब 40 वर्ष
- (6) भागीरथ पुत्र हरजू उम्र करीब 38 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम सुगिरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 16.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 16.06.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेशचन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में अवैध शस्त्र धारकों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ श्री उमेश कुमार द्वारा गठित टीम उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा ने हमराही की मदद से 01 नफर अभियुक्त दिनेश अहिरवार पुत्र पूरन अहिरवार उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम महेवा थाना कुलपहाड़ जिला महोबा को मय एक अदद अवैध तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस नाजायज के साथ महेवा तिगैला से गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 151/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा
2. कां0 उमाशंकर पटेल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

दिनेश अहिरवार पुत्र पूरन अहिरवार उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम महेवा थाना कुलपहाड़ जिला महोबा

बरामदगी-

एक अदद अवैध तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस नाजायज बरामद





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 16.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने अवैध शराब सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एवं परिवहन की रोकथाम अभियान के अनुपालन के क्रम में दिनांक 16.06.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर० के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम उ०नि० दशमतलाल मय हमराह का. अभिषेक झा द्वारा कोहनिया नहर पुल से अभियुक्त गोविन्द पुत्र बाबू श्रीवास उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम कोहनिया थाना महोबकंठ जिला महोबा से गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से एक झोले में 15 अदद क्वार्टर दिल से ब्रान्ड नाजायज बरामद होना । बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 90/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० दशमतलाल थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2. का.अभिषेक झा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

गोविन्द पुत्र बाबू श्रीवास उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम कोहनिया थाना महोबकंठ जिला महोबा

बरामदगी- एक झोले में 15 अदद क्वार्टर दिल से ब्रान्ड नाजायज बरामद होना ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 16.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



जनपद में शान्ति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद के समस्त थानों द्वारा पीस कमेटी का किया गया आयोजन ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर० के० गौतम के पर्यवेक्षण में जुमा की नमाज़ के दृष्टिगत आज दिनांक 16.06.2022 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेशचन्द्र द्वारा थाना पनवाड़ी एवं जनपद के अन्य थानों के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा थानाक्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, एस-10, डिजिटल वॉलेंटियर्स व ग्राम चौकीदार के साथ पीस कमेटी की मीटिंग की गयी। मीटिंग में आपस में प्रेम-सौहार्द बनाए रखने हेतु व अफवाहों पर ध्यान न देने तथा अफवाहों को फैलने से रोकने आदि के सम्बन्ध में आमजन को जागरूक व पालन करने हेतु अपील की गयी।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 16.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



जिलाधिकारी महोबा व पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा संयुक्तरूप से थाना कोतवाली महोबा क्षेत्र के अंतर्गत धार्मिक स्थलों, संवदेनशील/मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में किया गया भ्रमण और लोगों से परस्पर सौहार्द व शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई..।

आज दिनांक 16.06.2022 को जिलाधिकारी महोबा व पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा संयुक्तरूप से थाना कोतवाली महोबा क्षेत्र के अंतर्गत धार्मिक स्थलों, संवदेनशील/मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों व बाजारों में भ्रमण किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा भ्रमण में दौरान क्षेत्र के लोगों, धार्मिक गुरुओं व व्यापारियों से परस्पर सौहार्द व शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गयी। सभी लोगों को किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने, पुलिस/प्रशासन के लोगों का सहयोग करने, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले लोगों की जानकारी तुरंत पुलिस को देने व शासन द्वारा जारी नियमों का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया।

सभी धर्म के गुरुओं को अपने-अपने धर्म के लोगों से वार्ता कर उनको समझाने को बताया गया जिसे लोगों के मध्य पहले की तरह ही शांति बनी रहे।

सोशल मीडिया पर बिना जानकारी के कुछ भी शेयर ना करने, भ्रामक खबरों से दूरी बनाने व उनकी रिपोर्ट पुलिस/साइबर सेल को करने के लिए बताया गया।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 16.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



महोबा पुलिस